



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260651
CG-DL-E-31012025-260651

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/माघ 11, 1946

No. 553]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

का.आ. 557(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, एक 'डिरेक्टीटर भंडारण टैंक' का पुणे, महाराष्ट्र से बाइमेर, राजस्थान तक और एक 'पूल कंडेंसर' व एक 'एचपी रिएक्टर' का मर्शघई, ओड़ीशा से तलचर, ओड़ीशा तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मेसर्स जेएम बक्सी हेवी प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में एक 'डिरेक्टीटर भंडारण टैंक' और एक 'पूल कंडेंसर' व एक 'एचपी रिएक्टर' के परिवहन के लिए, क्रमशः मेसर्स टीकेआईएल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वुहान प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	एमएच-04एफडी-1292	वोल्वो - 520 एचपी
2.	एमएच-04एफडी-1293	वोल्वो - 520 एचपी
3.	जीजे-12बीजेड-3871	वोल्वो - 520 एचपी
4.	जीजे-12 बीजेड-3739	वोल्वो - 520 एचपी
5.	जीजे-12एजेड-3302	वोल्वो - 520 एचपी
6.	जीजे-12एजेड-3332	वोल्वो - 400 एचपी
7.	जीजे-12बीवी-0015	वोल्वो - 520 एचपी
8.	जीजे-12बीवी-0415	वोल्वो - 520 एचपी
9.	एमएच-46एच-1063	वोल्वो - 400 एचपी
10.	एमएच-46एच-1064	वोल्वो - 520 एचपी
11.	एमएच-46एच-0446	वोल्वो - 520 एचपी
12.	एमएच-46एच-2320	वोल्वो - 520 एचपी
13.	एमएच-46एच-2720	वोल्वो - 520 एचपी
14.	एमएच-06एक्यू-1289	वोल्वो - 520 एचपी
15.	एमएच-06एक्यू-1290	वोल्वो - 520 एचपी
16.	जीजे-12बीजेड-3931	वोल्वो - 520 एचपी

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाइड्रोलिक ट्रैलर्स इस्ते माल किए जाएंगे:-

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों की धुरियों संख्या	मे की	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एमएच 06 एक्यू 1256	गोल्डहोफर	4		104
2.	एमएच 06 एक्यू 1257	गोल्डहोफर	6		156
3.	एमएच 06 एक्यू 1258	गोल्डहोफर	6		156
4.	एमएच 06 एक्यू 1259	गोल्डहोफर	4		104
5.	एमएच 06 एक्यू 1260	गोल्डहोफर	4		104
6.	एमएच 06 एक्यू 7349	गोल्डहोफर	4		104
7.	एमएच 06 एक्यू 7350	गोल्डहोफर	4		104
8.	एमएच 06 एक्यू 7351	गोल्डहोफर	4		104
9.	एमएच 06 एक्यू 7352	गोल्डहोफर	4		104
10.	एमएच 46 एच 3102	गोल्डहोफर	8		208
11.	एमएच 46 एच 3103	गोल्डहोफर	8		208
12.	एमएच 46 एच 3104	गोल्डहोफर	3		78
13.	एमएच 46 एच 3105	गोल्डहोफर	3		78

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों धुरियों संख्या	मे की	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
14.	एमएच 46 एच 3106	गोल्डहोफर	4		104
15.	एमएच 46 एच 3107	गोल्डहोफर	4		104
16.	एमएच 46 एच 3108	गोल्डहोफर	4		104
17.	एमएच 46 एच 3110	गोल्डहोफर	6		156
18.	जीजे 12 जेड 0136	गोल्डहोफर	6		156
19.	जीजे 12 जेड 0137	गोल्डहोफर	4		104
20.	जीजे 12 जेड 0138	गोल्डहोफर	6		156
21.	जीजे 12 जेड 0139	गोल्डहोफर	4		104
22.	जीजे 12 जेड 0140	गोल्डहोफर	4		104
23.	जीजे 12 जेड 3449	गोल्डहोफर	4		104
24.	जीजे 12 जेड 3450	गोल्डहोफर	4		104
25.	जीजे 12 जेड 3451	गोल्डहोफर	4		104
26.	जीजे 12 जेड 3452	गोल्डहोफर	6		156
27.	जीजे 12 जेड 3453	गोल्डहोफर	6		156
28.	जीजे 12 जेड 4075	गोल्डहोफर	6		156
29.	जीजे 12 जेड 4076	गोल्डहोफर	4		104
30.	जीजे 12 जेड 4079	गोल्डहोफर	4		104
31.	जीजे 12 एटी 7526	गोल्डहोफर	4		104
32.	जीजे 12 एटी 7528	गोल्डहोफर	4		104
33.	जीजे 12 एटी 7529	गोल्डहोफर	8		208
34.	जीजे 12 एटी 7530	गोल्डहोफर	8		208
35.	जीजे 12 एटी 9596	गोल्डहोफर	8		208
36.	जीजे 12 एटी 9598	गोल्डहोफर	6		156

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	वाहन की लदी ऊंचाई (मीटर में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरी के युग्मन का विवरण
							लं. (मी)	चौ. (मी)	ऊँ. (मी)	
1	डिरेहीटर भंडारण टैंक	108.756	225	333.756	11.12	8.1	33.5	6.7	7.1	20(1+1/2) धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरी पंक्ति)
2	पूल कंडेंसर	72	296	368	16.72	7.9	19.4	4.6	6.9	22 एक्सल पंक्तियों के साथ सीधी रेखा में युग्मित किया

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	वाहन की लदी ऊँचाई (मीटर में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
							लं (मी)	चौ. (मी)	ऊँ. (मी)	
										जाएगा। (8 टायर प्रति धुरी पंक्ति)
3	एचपी रिएक्टर	81.01	351	432.358	18.01	6.1	30	4.5	5.1	24 एक्सल पंक्तियों के साथ सीधी रेखा में युग्मित किया जाएगा। (8 टायर प्रति धुरी पंक्ति)

5. उपर्युक्त तालिका में दर्शाए अनुसार क्रम संख्या 4(i) में उल्लिखित खेप के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग इस प्रकार है:

पुणे, चिखली - अहमदनगर - मालेगांव - धुले - चिमथाना - दोंडाइचा - नानादुर्ब - प्रकाशा - डेडियापाडा - नेतरंग - अंकेश्वर - वडोदरा - वासद - बागोदरा - राजकोट - सांखियाली - राधनपुर - पालनपुर - आबू रोड - पिंडवाडा - सिरोही - पाली - जोधपुर - बालेसर - सोइतरा - सिमरखिया - रेवाडा - पचपदरा - एचआरआरएल बाइमेर परियोजना स्थल

यह मेसर्स रवि इंडस्ट्रीज, चिखली, पुणे के परिसर से शुरू होगा और मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बाइमेर, राजस्थान के परिसर में समाप्त होगा।

क्रम संख्या 4 (ii) और (iii) में उल्लिखित खेपों के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग मार्शाघाई, लूना नदी, ओडिशा से तालचेर फर्टिलाइजर ओडिशा तक सड़क मार्ग से होगा-

मार्शाघाई- चंडीखोल- निर्गुंडी- मेरामुंडली- एफसीआई चौक- तालचेर उर्वरक; या

मार्शाघाई-केंद्रपाडा-जगतपुर-निर्गुंडी-मेरामुंडली- एफसीआई चौक- तालचेर उर्वरक

(ii) राजस्थान, गुजरात और ओडिशा राज्य सरकार के संबंधित विभागों/ लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकरण/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा निर्धारित विभिन्न सड़कों और पुलों पर लोड प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा और वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी। ट्रांसपोर्टर ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेगा जो राज्य सरकारों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(iii) ट्रांसपोर्टर होर्डिंग, पोल, साइनबोर्ड, ट्रांसमिशन लाइन शटडाउन आदि जैसी किसी भी वस्तु को हटाने के लिए राजस्थान, गुजरात और ओडिशा राज्य सरकार के संबंधित विभागों/ लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकरण/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले ऐसे प्रतिबंधों का पालन करें जो राज्य सरकारों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुमत किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास की लागत मेसर्स जे एम बक्सी हेवी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(iv) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राजस्थान, गुजरात और ओडिशा राज्य सरकार के संबंधित विभागों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा और आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(v) यदि किसी राज्य के लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि उस राज्य में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से भरे हुए वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदी/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

- (vi) ट्रांसपोर्टर राज्य / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (vii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (viii) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (ix) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (x) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xi) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiii) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xiv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xv) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/10/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2025

S.O. 557(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one 'Deheater Storage Tank' from Pune, Maharashtra to Barmer, Rajasthan and one 'Pool Condenser' and one 'HP Reactor' from Marshghai, Odisha to Talcher, Odisha by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s J M Baxi Heavy Private Limited is the transporter of M/s TKIL Industries Private Limited and M/s Wuhan Private Limited for transportation of these three over dimension consignments for the aforesaid movement.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	MH04FD1292	Volvo – 520 HP
2.	MH04FD1293	Volvo – 520 HP
3.	GJ12BZ3871	Volvo – 520 HP

4.	GJ12BZ3739	Volvo – 520 HP
5.	GJ12AZ3302	Volvo – 520 HP
6.	GJ12AZ3332	Volvo – 400 HP
7.	GJ12BV0015	Volvo – 520 HP
8.	GJ12BV0415	Volvo – 520 HP
9.	MH46 H1063	Volvo – 400 HP
10.	MH46 H1064	Volvo – 520 HP
11.	MH46 H0446	Volvo – 520 HP
12.	MH46 H2320	Volvo – 520 HP
13.	MH46H2720	Volvo – 520 HP
14.	MH06AQ1289	Volvo – 520 HP
15.	MH06AQ1290	Volvo – 520 HP
16.	GJ12BZ3931	Volvo – 520 HP

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	MH 06 AQ 1256	GOLDHOFER	4	104
2.	MH 06 AQ 1257	GOLDHOFER	6	156
3.	MH 06 AQ 1258	GOLDHOFER	6	156
4.	MH 06 AQ 1259	GOLDHOFER	4	104
5.	MH 06 AQ 1260	GOLDHOFER	4	104
6.	MH 06 AQ 7349	GOLDHOFER	4	104
7.	MH 06 AQ 7350	GOLDHOFER	4	104
8.	MH 06 AQ 7351	GOLDHOFER	4	104
9.	MH 06 AQ 7352	GOLDHOFER	4	104
10.	MH 46 H 3102	GOLDHOFER	8	208
11.	MH 46 H 3103	GOLDHOFER	8	208
12.	MH 46 H 3104	GOLDHOFER	3	78
13.	MH 46 H 3105	GOLDHOFER	3	78
14.	MH 46 H 3106	GOLDHOFER	4	104
15.	MH 46 H 3107	GOLDHOFER	4	104
16.	MH 46 H 3108	GOLDHOFER	4	104
17.	MH 46 H 3110	GOLDHOFER	6	156
18.	GJ 12 Z 0136	GOLDHOFER	6	156
19.	GJ 12 Z 0137	GOLDHOFER	4	104
20.	GJ 12 Z 0138	GOLDHOFER	6	156
21.	GJ 12 Z 0139	GOLDHOFER	4	104
22.	GJ 12 Z 0140	GOLDHOFER	4	104
23.	GJ 12 Z 3449	GOLDHOFER	4	104
24.	GJ 12 Z 3450	GOLDHOFER	4	104
25.	GJ 12 Z 3451	GOLDHOFER	4	104
26.	GJ 12 Z 3452	GOLDHOFER	6	156
27.	GJ 12 Z 3453	GOLDHOFER	6	156
28.	GJ 12 Z 4075	GOLDHOFER	6	156
29.	GJ 12 Z 4076	GOLDHOFER	4	104
30.	GJ 12 Z 4079	GOLDHOFER	4	104
31.	GJ 12 AT 7526	GOLDHOFER	4	104
32.	GJ 12 AT 7528	GOLDHOFER	4	104
33.	GJ 12 AT 7529	GOLDHOFER	8	208
34.	GJ 12 AT 7530	GOLDHOFER	8	208
35.	GJ 12 AT 9596	GOLDHOFER	8	208
36.	GJ 12 AT 9598	GOLDHOFER	6	156

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
							L (m)	W (m)	H (m)	
i	Dereheater Storage Tank	108.756	225	333.756	11.12	8.1	33.5	6.7	7.1	20(1+1/2) axle rows (equivalent to 30 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)
ii	Pool Condenser	72	296	368	16.72	7.9	19.4	4.6	6.9	22 axle rows with will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)
iii	HP Reactor	81.01	351	432.358	18.01	6.1	30	4.5	5.1	24 axle rows with will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of the consignment mentioned at serial number 4(i) as indicated in above mentioned table is as under:

Pune, Chikhali - Ahmednagar - Malegaon - Dhule - Chimthana - Dondaicha - Nanadurbar - Prakasha - Dediapada - Netrang - Ankeshwar - Vadodara - vasad - Bagodara - Rajkot - samkhiyali - Radhanpur - Palanpur - Abu Road - Pindwara - Sirohi - Pali - Jodhpur - Balesar - Soitara - Simarkhiya - Rewara - Pachpadra - HRRL Barmer Project Site

It will originate from the premises of M/s Ravi Industries, Chikhali, Pune and terminate at the premises of M/s Megha Engineering & Infrastructure Ltd, Barmer, Rajasthan.

The specific route for transportation of the consignments mentioned at serial number 4 (ii) and (iii) will be from Marshaghai, Luna River, Odisha to Talcher Fertiliser Odisha as per the following route-

Marshaghai- Chandikhole- Nirgundi- Meramundali- FCI Chowk- Talcher Fertilizer; or
Marshaghai-Kendrapara-Jagatpur-Nirgundi-Meramundali- FCI chowk- Talcher Fertilizer.

- Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the concerned departments of the State Government of Rajasthan, Gujarat and Odisha as the case may be/ Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and prior permission will be obtained before the vehicles are put on the road. The transporter will observe such restrictions as the States/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.
- The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State Government of Rajasthan, Gujarat and Odisha as the case may be/ National Highway Authority of India/NHIDCL, for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State Governments/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State Government shall be borne by the M/s J M Baxi Heavy Private Limited.
- The transporter will give intimation at least ten days in advance and obtain permission before commencement of transit, from concerned Departments of the State Government of Rajasthan, Gujarat and Odisha as the case may be/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- If so directed by the Public works Department of a State/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State /National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

- vii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- viii. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- ix. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- x. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xi. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xii. The transporter will ensure that the valid documents for road taxes, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC shall be carried in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiii. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Maharashtra and Gujarat.
- xiv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xv. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/10/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.